संख्या- 27/11/2011-एस.आर.एस.
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

तीसरा तल, लोकनायक भवन,
खान मार्केट, नई दिल्ली ।
दिनांक 27 सितम्बर, 2011

सेवा में,

मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश सरकार,
लखनऊ ।

मुख्य सचिव,
उत्तरांचल सरकार,
देहरादून ।

विषय : दाम्पत्य नीति से सम्बन्धित प्रकरणों पर राज्य परामर्शी समिति की दिनांक 15, जून 2011 को आयोजित बैठक में विचार ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य परामर्शी समिति की दिनांक 15,जून 2011 को आयोजित बैठक में विचारोपरांत समिति ने निम्नलिखित कार्मिक के अभ्यावेदन को दाम्पत्य नीति से सम्बन्धित दिशा-निदेशों से आच्छादित न होने के कारण अस्वीकृत करने की संस्तुति की है :-

उच्च शिक्षा विभाग

क्रमांक	कार्मिकों का नाम, पदनाम व तैनाती	नियुक्ति तिथि	दम्पत्ति का नाम, पदनाम व तैनाती	नियुक्ति तिथि	अभ्युक्ति/समिति का निर्णय
1	2	3	4	5	11
1	डा0 ऊषा यादव, वरिष्ठ प्रवक्ता, वनस्पति विज्ञान, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, काशीपुर, ऊधम सिंह नगर, उत्तराखण्ड।	14.12.1998	श्री छोटे लाल यादव, सहायक प्रबन्धक, इण्डियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज़ लिमिटेड, रायबरेली, उत्तर प्रदेश।	14.10.1978	समिति की बैठक दिनांक 09 सितम्बर, 2010 में डा0 ऊषा यादव का प्रकरण प्रस्तुत किया गया था। समिति द्वारा विचारोपरान्त डा0 ऊषा यादव के पति श्री छोटे लाल यादव के सम्बन्ध में यह जानकारी प्राप्त करने के निर्देश दिये थे कि इनकी सेवायें उत्तर प्रदेश के बाहर स्थानान्तरणीय तो नहीं हैं। श्री छोटे लाल यादव, उप प्रबन्धक, आई0टी0आई0 लिमिटेड, रायबरेली ने अपने पत्र के माध्यम से अवगत कराया है कि उनकी सेवायें व्यवहारिक रूप से स्थानान्तरणीय नहीं हैं और बिना उनकी स्वेच्छा के स्थानान्तरण की कोई सम्भावना भी नहीं है। समिति द्वारा विचारोपरान्त यह पाया कि प्रकरण दाम्पत्य नीति सम्बन्धी जारी अधिसूचना दिनॉक 06 फरवरी, 2009 से आच्छादित न होने के कारण प्रत्यावेदन को अस्वीकार किये जाने की संस्तुति की गई ।

समिति द्वारा इस मामले में जो संस्तुति की गई उसे भारत सरकार द्वारा दाम्पत्य नीति के अन्तर्गत मान लिया गया है । उपर्युक्त स्तम्भ 2 में उल्लिखित कार्मिक को उत्तराखंड राज्य में बनाये रखे जाने का निर्णय लिया गया है ।

कृपया संबंधित अधिकारी को इस निर्णय से अवगत करवा दिया जाए ।

भवदीय

(सारंगधर नायक)
अवर सचिव, भारत सरकार

प्रतिः-

1. श्री राजेन्द्र मोहन श्रीवास्तव, प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश पुनर्गठन समन्वय विभाग, 8-ए, नवीन भवन, सचिवालय, लखनऊ ।
2. प्रमुख सचिव, उत्तराखंड पुनर्गठन समन्वय विभाग, देहरादून।

Deptt. of Personnel & Trg.
Receipt & Issue Section
27
जारी किया
रु०